रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2018/आश्विन 23, 1940
No. 741] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ASVINA 23, 1940

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1034(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा यथाअपेक्षित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियम राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) संशोधन नियम, 2018 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, एवं ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और, उक्त राजपत्र जनता को 25 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दिया था;

और, यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

इसलिए, अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतत् द्वारा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा कार्यप्रणाली) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 में, नियम 3 में –

(i) खंड (क) में "अस्सी हजार रुपये प्रतिमास का वेतन" शब्दों के स्थान पर शब्द "वेतन और भत्ते" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "उच्च प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार वेतनमान (रु. 67000/- + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि – 79000/-)" शब्दों, आंकड़ों और चिन्हों के स्थान पर "वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ उच्च प्रशासनिक श्रेणी के शुरूआती स्तर के समान वेतन" शब्द रखें जाएंगे; और

(iii) खंड (ग) में "तीन हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/8/2017-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 635(अ) के द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

NEW Delhi, the 11th October, 2018

G.S.R. 1034(E).—Whereas, the draft of certain rules namely, the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Amendment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) under notification of the Government of India in the Ministry of Culture number G.S.R. 414(E), dated the 25th April, 2018, as required by clause (a) of sub-section (2) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said Gazette notification were made available the public on 25th April, 2018;

And whereas, no objections or suggestions were received from any person before the date so specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, in rule 3,—

(i) in clause (a), for the words, "a fixed salary of rupees eighty thousand per month", the words, "salary and allowances" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words, letters, figures and signs, "salary in the Higher Administrative Grade in the scale of pay (Rs. 67000/- plus annual increment @3% - 79000/-)", the words "salary equivalent to entry level to Higher Administrative Grade with annual increment", shall be substituted; and

(iii) In clause (c), for the words "rupees three thousand", the words, "rupees five thousand" shall be substituted.

[F. No. 1/8/2017-M]

USHA SHARMA, Director General

Foot Note : The principal Rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 635(E), dated the 23rd August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.18 10:24:16 +05'30'